

पत्रावली पेश
P.O. साहब पुताय
होने से पत्रावली पुनर्जांच
दिनांक 6/12/24 को पेश हो।

6/12/24 वकील प्रकाश कंवर / उभय पक्षों ल. 6 ता 8 की अर्ज
से की सुराजीलाल शर्मा को उपस्थित
वाले पत्रावली पत्रावली दिनांक 12/12/24
को पेश हो।

12/12/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप. I.P.O
का पत्रावली पत्रावली पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 12/12/24 को पेश हो।

12/12/24 वकुलाय उप. उभय पक्षों ल. 1 ता 5 की अर्ज से
की सुराजीलाल शर्मा को उपस्थित। उभय पक्षों ल.
9 व 10 की तलबी हेतु पत्रावली दिनांक 16/12/24
को पेश हो।

मुकदमा नम्बर- 117/2024

विकास सिंह बनाम प्रकाश कंवर वगैरे

16/12/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। वकुलाय उभय पक्षों
को सुना गया। वकुलाय उभय पक्षों ने बताया कि वादग्रस्त
भूमि को लेकर विभाजन का वाद विचाराधीन है, जिसमें
प्राथमिक डिक्री जारी हो चुकी है। अप्रार्थीगण को माननीय
न्यायालय द्वारा अन्तरिम टी.आई से पाबन्द किया हुआ है।
ऐसी स्थिति में न्यायहीन में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई
निषेधाज्ञा आदेश तादौराने वाद कन्फर्म किया जाना उचित
प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना
पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा उभय पक्षों
को तादौराने वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया
जाता है की पूर्व में दिनांक 21.03.2024 को जारी अन्तरिम
अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश तादौराने वाद कन्फर्म किया जाता
है। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल
वाद के सलग्न हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजवीर सिंह

